न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 158/17

वादी
1–महेन्द्र कुमार पुत्र रामदीन जाति जाट
निवासी जसनगर तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1–पप्पूदेवी पुत्री पाबूराम
2–गीतादेवी पुत्री पाबूराम
3–बगदाराम पुत्र पुखाराम
जातियान कुम्हार निवासीगण जसनगर तहसील रियांबड़ी
4–तहसीलदार रियांबड़ी
5–पटवारी हलका जसनगर

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 08.06.2018

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :–
1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3जसनगर के निवासी है और हिन्दु है और हिन्दु मिताक्षरा कानून से गर्वन होते है।
2–यह है कि ग्राम जसनगर के खेत खसरा नंबर 179 रकबा 0.28 हैक्टर,खसरा नंबर 180 रकबा 0.24 हैक्टर,खसरा नंबर 181 रकबा 0.24 हैक्टर,खसरा नंबर 182 रकबा 0.25 हैक्टर,कुल रकबा 1.01 हैक्टर आया हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त खसरान की भूमि के सहखातेदार है।
3–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त खसरान की भूमि पर अपने अपने बंट माफिक काश्त व काबिज है।
4–यह है कि वादी के बंट में खसरा नंबर 179 रकबा 0.28 हैक्टर व खसरा नंबर 180 रकबा 0.24 हैक्टर आया हुआ है। एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट में खसरा नंबर 182 रकबा 0.25 हैक्टर आया हुआ है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 के बंट में खसरा नंबर 181 रकबा 0.24 हैक्टर आया हुआ है। एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के आने जाने हेतू खसरा नंबर 179 व 180 की दक्षिणी तरफ की माठ के सहारे सहारे 12फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 182 तक जाने के लिए रखा गया है। जिसमें 0.03 हैक्टर भूमि खसरा नंबर 179 व 180 में सें रास्ता के लिये रखी गई है। जो वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त सामलाती रहेगी व खसरा नंबर 181 की दक्षिणी व पश्चिमी माठ के सहारे सहारे खसरा नंबर 182 तक जाने के लिए खसरा नंबर 181 में सें 0.02 हैक्टर भूमि रास्ते के लिए रखी गई है। जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के सामलाती रहेगी।
5–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त खसरान की भूमि पर काश्त व काबिज है,परंतु राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी का होने से वादी एंव प्रतिवादीगण को सरकारी सुविधा का लाभ उठाने में दिक्कत हो रही है। वादी व प्रतिवादीगण को किसान केडिट कार्ड बनवाने में भी परेशानी हो रही है। जिससे वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।
6–यह है कि उपरोक्त अनुसार वादी के हक में बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादी के हक में डिकी दी जावें। व मौके पर स्थिति के अनुसार बंट किया जाकर खातेदारी घोषित की जावें।

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनजबाब हेतू तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से महेन्द्र जाजड़ा वकील ने वकालतनामा पेश किया गया। बकाया का आईन्दा पेश करने की हिदायत ली गई।

वादी व प्रतिवादी संख्या 3 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मुगदड़ा में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से राजीनामा आईन्दा पेश करने हेतू समय चाहा गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कोर्ट कैम्प न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। जो बाद तस्दीक के सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जसनगर में पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र के पैरा 8 क के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बंटवारे की डिकी फरमायी जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साथ जमाबदी मोजा जसनगर संवत् 2069–2072 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका बंटवारा विधिवत करवाना चाहते है। और सहमति भी पेश की जा चूकी है। वादी का नाम आराजी खरीदने से खातेदारी में दर्ज हुआ है प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की भूमि विरासत से प्राप्त है। जिसका आपसी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। मौके पर सहूलियत से बंटवारा किया हुआ है। और काश्त काबिज है।

अतः समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिये सहमति के स्वीकार किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच निम्न प्रकार से बंटवारा कर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

1–वादी के बंट में :–

" मौजा जसनगर के खसरा नंबर 179 रकबा 0.28 हैक्टर व खसरा नंबर 180 रकबा 0.24 हैक्टर बंट में रखा जाता है।

2–प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट में :–

" मौजा जसनगर के खसरा नंबर 182 रकबा 0.25 हैक्टर बंट में रखा जाता है।

3–प्रतिवादी संख्या 3 के बंट में :–

" मौजा जसनगर के खसरा नंबर 181 रकबा 0.24 हैक्टर बंट में रखा जाता है।

नोट :– प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के आने जाने हेतू खसरा नंबर 179 व 180 की दक्षिणी तरफ की माठ के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 182 तक जाने के लिए रखा जाता है। जिसमें 0.03 हैक्टर भूमि खसरा नंबर 179 व 180 में सें रास्ता के लिए रखी जाती है। जो वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त सामलाती रहेगी।

खसरा नंबर 181 की दक्षिणी व पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे खसरा नंबर 182 तक जाने के लिए खसरा नंबर 181 में सें 0.02 हैक्टर भूमि रास्ते के लिए रखी जाती है। जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सामलाती रहेगी।

तहसीलदार उपरोक्तानुसार बंटवारा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियां बड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

निर्णय दिनांक 08.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियां बड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर

Scanned by CamScanner